संख्या-1/2024/ई-10-1/669845/दस-2024-10-10099/22/2022

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2024

विषय:- प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को मोड के अन्तर्गत अधिष्ठापित सोलर रूफटॉप संयंत्र से उत्पादित विद्युत के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभागों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत देयों का केन्द्रीयकृत भुगतान किए जाने विषयक वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या-2/2022/ई-10-1/197718/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 03 अगस्त, 2022 तथा शासनादेश संख्या-1/2023-ई-10-1/296220/दस-2023-10-10099/22/2022, दिनांक 30 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रदेश के समस्त सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराया जाना लक्षित है, जिसके अन्तर्गत रेस्को मोड में संयंत्रों की स्थापना कराई जा रही है। रेस्को मोड के अन्तर्गत कार्यालय के भवनों पर रिन्यूबल इनर्जी सप्लाई कम्पनी (रेस्को) द्वारा अपने वित्तीय निवेश से सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना कराई जाती है। स्थापित संयंत्र का रख-रखाव एवं संचालन पूर्णत: रेस्को द्वारा अनुबन्ध अवधि (25 वर्ष) तक किया जाता है। अनुबन्ध अवधि में उक्त रूफटॉप सोलर संयंत्रों से उत्पादित ऊर्जा का बिल यूपीनेडा के अनुमोदित टैरिफ के आधार पर रेस्को डेवलपर द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा रेस्को को किया जाना होगा।

3- सरकारी भवनों के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्रीयकृत भुगतान की व्यवस्था में "मानक मद-09-विद्युत देय" में आवंटित धनराशि से सीधे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को किया जाता है, जिसके कारण रेस्को मोड में उत्पादित विद्युत का भुगतान सम्बन्धित विभाग नहीं कर पा रहे हैं। रेस्को मोड में स्थापित संयंत्रों के सापेक्ष डेवलपर का भुगतान समय से हो, इसके दृष्टिगत अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि जिन विभागों द्वारा सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना रेस्को मोड में कराई गई है, वे रेस्को डेवलपर के बिलों की अनुमानित धनराशि का आकलन कर अनुमानित धनराशि "मानक मद-09-विद्युत देय" में आवंटित धनराशि में से रेस्को के बिलों के भुगतान हेतु आरक्षित कर लेंगे तथा इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

धनराशि से रेस्को के बिलों का भुगतान करेंगे। इसकी समीक्षा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं यूपीनेडा द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। इस हेतु यूपीनेडा द्वारा पोर्टल के माध्यम से ससमय भुगतान की समीक्षा की जाएगी।

4- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर रेस्को मोड के अन्तर्गत अधिष्ठापित सोलर रूफटॉप संयंत्र के विद्युत बिलों का भुगतान "मानक मद-09-विद्युत देय" में आवंटित धनराशि से उपरोक्तानुसार किया जाएगा।

5- शासनादेश संख्या-1/2022/ई-10-162757/दस-2022-10-10099/22/2022, दिनांक 05 मई, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

6- कृपया उक्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमाँचल/मध्याँचल/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड/केस्को, कानपुर।
(4) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समस्त विशेष सचिव।
(5) समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियन्त्रण अनुभाग।
(7) ऊर्जा विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।